



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25065

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 1428/2025

दूधनाथयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राजेश कुमार श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका उत्तर प्रदेश जात चकबंदी अधिनियम की धारा 4-क(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2023, जो दिनांक 09.09.2023 को प्रकाशित हुई थी, की वैधानिकता और वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई है। यह तर्क दिया गया है कि क्षेत्र में पिछला चकबंदी कार्य वर्ष 1978 में अंतिम रूप से संपन्न हुआ था और तब से मौके पर कोई बड़े बदलाव नहीं हुए हैं। इसलिए नए चकबंदी कार्य की आवश्यकता नहीं है और यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 4-क(2) के तहत आक्षेपित अधिसूचना विधि के अनुसार पोषणीय नहीं है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नए प्रत्यावेदन पर अधिक उचित रूप से किया जा सकता है और यदि नए प्रत्यावेदन के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान रिट याचिका को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः, मामले के गुण-दोष पर प्रवेश किए बिना, इसे एतद्वारा अंतिम रूप से तय किया जाता है, इस निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता चकबंदी आयुक्त (प्रत्यर्थी संख्या 2) के समक्ष आज के आदेश की प्रमाणित प्रति और वर्तमान रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ नया प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, जो उक्त प्रत्यावेदन पर विधि के अनुसार, अधिमानतः नया प्रत्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचार करेंगे और निस्तारित करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

फरवरी 2, 2026

नीतू

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"